एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 03, अंक: 05 (सितम्बर-अक्टूबर, 2023)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

समाज में महिला सशक्तिकरण

(*विकास कुमार मीणा)
राजस्थान कृषि महाविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (313 001)
*संवादी लेखक का ईमेल पता: vmmeena543@gmail.com

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को उनके जीवन के हर क्षेत्र में सशक्त बनाना। यह उन्हें स्वतंत्रता देता है अपने जीवन के निर्णय लेने की, स्वतंत्रता काम करने की, स्वतंत्रता समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की। महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को समाज, राजनीति, धर्म, समुदाय, परिवार, और घर मं पुरुषों के समान हक प्राप्त करना है। महिला सशक्तिकरण में हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं, जहाँ महिलाएं परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हो-

महिला सशक्तिकरण प्रसंग में, हमें 'सशक्तिकरण' से क्या समझते हैं, इसको समझना जरूरी है। 'सशक्तिकरण' से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है, जिससे उसमें यह योग्यता पैदा होती है, कि वह अपने जीवन से संबंधित सभी फैसले स्वतः ही ले। महिला सशक्तिकरण, एक ऐसी अवधारणा है जिसने समाज को नयी दिशा दी है। यह महिलाओं को समाज में सक्षम बनाती है, उन्हें स्वतंत्रता देती है, और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है।

महिला सशक्तिकरण का महत्व:

- महिला सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं को उनके जीवन के हर पहलु में निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना। इससे महिलाओं को उनके अधिकारों की पूरी जानकारी होती है, और वे समाज में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। जो पहले सीमित होती थी।
- यह समाज में समानता, समरसता और न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- महिला सशक्तिकरण से महिलाओं को उनके परिवार, समुदाय, और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका मिलता है, जो पहले सीमित होती थी।
- सशक्त महिलाएं समाज को सशक्त बनाती हैं, क्योंकि वे प्रगति, परिवर्तन, और समृद्धि के प्रमुख स्रोत होती हैं।
- महिला सशक्तिकरण, एक ऐसी अवधारणा है जिसने समाज को नयी दिशा दी है। यह महिलाओं को समाज में सक्षम बनाती है, उन्हें स्वतंत्रता देती है, और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है।
- सशक्त महिलाएं समाज को सशक्त बनाती हैं, क्योंकि वे प्रगति, परिवर्तन, और समृद्धि के प्रमुख स्रोत होती हैं।
- संपूर्णतः महिला सशक्तिकरण का महत्व समाज में प्रगति, समरसता, और सुसंस्कृति को प्रोत्साहन देने में है, और हमें हमारे समुदायों, समाजों, और देशों को प्रगति की ओर।

महिला सशक्तिकरण के प्रमुख समस्याएं:

महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण कदम है जो समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देता है। हालांकि, इस प्रक्रिया को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- **सामाजिक रूढ़िवादः** समाज में महिलाओं के प्रति मौजूद रूढ़िवादी मान्यताएं और पुरुष प्रधानता महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी चुनौती हैं।
- **शिक्षा में हानिः** शिक्षा की कमी एक और प्रमुख समस्या है। हालांकि, प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों के समान शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में अनेक बाधाएं होती हैं, जो उनके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में बाधक होती हैं।
- **आर्थिक समस्याएंः** महिलाओं के पास स्वतंत्रता, स्व–निर्भरता, और समुदायीकरण के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी होती है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति अक्सर उनके सशक्तिकरण के पथ में बाधा डालती है।
- **सामाजिक समरसताः** महिला सशक्तिकरण के प्रमुख पहलु में से एक है समाज में समरसता को बढ़ाना। महिलाओं को समानता, सम्मान, और सुरक्षा प्रप्त करने के अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना।
- **स्व–सहायता समूहः** महिला सशक्तिकरण के प्रमुख पहलु में से एक है, महिलाओं को स्व–सहायता समूहों में हिस्सेदारी, जो महिलाओं को आपसी सहयो नेमत तजपबसम वद जीम जवचपब "महिला सशक्तिकरण के प्रमुख समस्याएं"
- **सामाजिक–संस्कृतिः** हमारे समाज में अभी भी कुछ ऐसी सांस्कृतिक और सामाजिक रूढ़िवादी मान्यताएं हैं, जो महिला सशक्तिकरण के पथ में बाधा डालती हैं।
- **महिला सुरक्षाः** एक व्यापक रूप से चर्चित और गंभीर समस्या है। महिलाएं न तो घर में सुरक्षित हैं और न ही बाहर। लेकिन हमारे भारतीय संविधान और न्यायपालिका ने महिला सुरक्षा के लिए दृढ़ और विस्तृत कानून स्थापित किये। यह समय महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता अधिकारों का समर्थन करने के लिए उन्हें स्वीकार करने और लागू करने का है।

महिला सशक्तीकरण के लिए दिए गए अधिकार:

- **समान वेतन का अधिकार** – समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता
- **कार्य–स्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून** – यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत वर्किंग प्लेस पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक है। केंद्र सरकार ने भी महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत वर्किंग प्लेस पर यौन शोषण के शिकायत दर्ज होने पर महिलाओं को जांच लंबित रहने तक 90 दिन का पैड लीव दी जाएगी।
- **कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार** – भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह एक महिला को उसके मूल अधिकार 'जीने के अधिकार' का अनुभव करने दें। गर्भाधान और प्रसव से पूर्व पहचान करने की तकनीक लिंग चयन पर रोक अधिनियम कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है।
- **संपत्ति पर अधिकार** – हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुष दोनों का बराबर हक है।
- **गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार** – किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो उस पर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए।
- **महिला सशक्तीकरण** – महिलाओं का पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने और अपने देश के बारे में सोचने की क्षमता का विकास होना ही महिला सशक्तीकरण कहलाता है
- **महिला श्रेष्ठता** – समाज में महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए क्योंकि आज के समय में महिला हर क्षेत्र में आगे है चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर खेल के क्षेत्र में

महिला सशक्तिकरण से लाभ –

1- वे सम्मान और स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन का नेतृत्व करने में सक्षम होती हैं।

2- यह उन्हें अपनी खुद की एक अलग पहचान देता है।

3- यह उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को जोड़ता है।

4- वे समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने में सक्षम हो पाती हैं।

5- वे समाज की भलाई के लिए सार्थक योगदान देने में सक्षम हो पाती हैं।

6- देश के संसाधन उनके लिए उचित और समान रूप से सुलभ होते हैं।

महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं –

भारत सरकार बहुत से ऐसे अभियान चलाए हैं जिसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है. ये योजनाएं कमजोर और पीढित महिलाओं की आवाज उठाने में मदद कर रही हैं। उदाहरण के लिए :

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम
- महिला हेल्पलाइन योजना
- सुकन्या समृद्धि योजना
- स्वाधार गृह
- कामकाजी महिला छात्रावास
- महिला ई–हाट
- महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण